



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244617
CG-DL-E-23032023-244617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1328]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

No. 1328]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 1381(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इसके द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, एस.ओ.2115 (ई), दिनांक 25 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। धारा 3 उप-धारा (ii) एस.ओ.2115(ई), दिनांक 25 जून, 2019 अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में

संशोधित

किमी .128.85 से किमी .142.75 के लिए खिंचाव
रहा है

दो लेन से बढ़ाकर चार लेन किया जा

दो लेन से बढ़ाकर चार लेन किया जा रहा है

अंकोला-गूटी के किमी 127.160 से

किमी 142.750 तक

अंकोला-गूटी के किमी 128.850 से किमी 142.750 तक
वाला खंड

हुबली शहर की सीमा से गुजरने

हुबली शहर की सीमा से गुजरने वाला खंड
राज्य में

जॉब नंबर एनएच के तहत कर्नाटक

जॉब नंबर एनएच के तहत कर्नाटक राज्य में

63-केएनटी-2016-17-838

63-केएनटी-2016-17-838

नोट: - इसलिए, अधिसूचना को एसओ 2115 (ई), दिनांक 25 जून, 2019 के रूप में पढ़ा जा सकता है, "हुबली शहर की सीमा से गुजरने वाले अंकोला - गूटी सेक्शन के किमी 127.160 से किमी 142.750 तक दो लेन से चार लेन तक चौड़ीकरण" के रूप में पढ़ा जा सकता है। कर्नाटक राज्य में नौकरी संख्या एनएच-63-केएनटी-2016-17-838 के तहत "राज्य में हुबली शहर की सीमा से गुजरने वाले अंकोला - गूटी सेक्शन के किमी 128.850 से किमी 142.750 तक दो लेन से चार लेन तक चौड़ा करने के बजाय" कर्नाटक के जॉब नंबर NH-63-KNT-2016-17- 838 के तहत "।

CALA से प्राप्त चेनेज नाम के अनुसार चेनेज के नाम में सुधार

कार्य के लिए स्वीकृत अतिरिक्त परिवर्तन के अनुसार चेनेज किमी 128.850 से किमी 142.750 को किमी 127.160 से किमी 142.750 तक संशोधित किया जाना है

[फा. सं. NH-63-KNT-2016-17-838/3a]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 1381(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2115 (E), Dated the 25th June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O.2115(E), dated the 25th June, 2019 namely :-

In the said notification

Amended

Stretch from km.128.85 to km.142.75 for	Widening from two lane to four lane from
Widening from two lane to four lane from	km 127.160 to km 142.750 of Ankola –
Gooty	
km 128.850 to km 142.750 of Ankola – Gooty	section Passing through Hubballi city
Limits	
section Passing through Hubballi city Limits	in the State of Karnataka under Job
No.NH	
in the State of Karnataka under Job No.NH	63-KNT-2016-17-838
63-KNT-2016-17-838	

Note:—Therefore, of the notification published vide S.O.2115 (E), Dated the 25th June, 2019 may be read as "Widening from two lane to four lane from km 127.160 to km 142.750 of Ankola - Gooty section Passing through Hubballi city Limits in the State of Karnataka under Job No.NH-63-KNT-2016-17-838" instead of "Widening from two lane to four lane from km 128.850 to km 142.750 of Ankola - Gooty section Passing through Hubballi city Limits in the State of Karnataka under Job No.NH-63-KNT-2016-17- 838".

Correction in name of chainage as per chainage name received from CALA

From Chainage Km 128.850 to Km 142.750 is to be modified to Km 127.160 to Km 142.750 as per the additional Change of Scope approved for the work

[F. No. NH-63-KNT-2016-17-838/3a]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.